

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

सं०-21/एस.एस.सी.-03/2016, सा.प्र. / पटना 15, दिनांक

बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 2010 के नियम-04 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली की अनुसूची-2 (स्नातक स्तरीय) में वाणिज्य-कर विभाग, के "वाणिज्य-कर पर्यवेक्षक" पद को तत्कालिक प्रभाव से शामिल किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

सं०-21/एस.एस.सी.-03/2016, सा.प्र. / पटना 15, दिनांक

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, ई.-गजट शाखा को सी.डी. सहित राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु.:- सी.डी.।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

सं०-21/एस.एस.सी.-03/2016, सा.प्र. 17204 / पटना 15, दिनांक 28/12/16

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उप सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना/आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों को अविलम्ब सूचित करा दें।

28/12/2016
सरकार के संयुक्त सचिव।